ज्ञानली प्रसाद सिंह अन् सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में.

निदेशक.

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 विषय— निजी संस्थान श्रीमती गेंदा देवी महाविद्यालय, प्लाट नंठ -515, 516, 517, 518, 521, 522, . ग्राम-बरवारा, पोठ-सिरौली, व तहसील-लखनऊ. दिनांक 30 मई, 2018 कासगंज जिला-एटा को डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निजी संस्थान श्रीमती गेंदा देवी महाविद्यालय, प्लाट नंठ -515, 516, 517, 518, 521, 522, , ग्राम-बरवारा, पोठ-सिरौली, व तहसील- कासगंज जिला-एटा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकितशर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

जिन मानकों एवं शतों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमित के बिना संस्थान द्वारा कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के

अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बाबोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी: उ०प्र०, इलाहाबाद को उपक्रमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अमिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्रण, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट सज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षितः सूचनाओं का उल्लेख वैब-साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनाक 07.03:2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर डींoएलoएडo (बींoटीoसींo) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19 से दो यूनिट (100 सींट) की सम्बद्धता प्रदान की जा

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

कामता प्रसाद सिंह) अनु सचिव।

संख्या-(1) / 15-11-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, परिषद, हंस भवन, ०१ बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002 क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, 2-भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।

सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद। 3-

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, एटा।

सचिव / प्रबन्धक श्रीमती गेंदा देवी महाविद्यालय, प्लाट नं० -515, 516, 517, 518, 521, 522, . ग्राम-बरवारा, पो०-सिरौली, व तहसील- कासगंज जिला-एटा।

गार्ड फाइल।



Telephone: 233610

9 UP B1ttalion NCC, Hathras- 204 101,

No. 806/02/G

29 Oct 2009

Principal
Smt Genda Devi Degree College
Allipur Barwara
Distt. Kanshiram Nagar

## RAISING / WITHDRAWL /RE-ALLOTMENT OF NCC SUB UNIT/TROOPS FARTHE YEAR 2009-2010

- Refer allotment of vacancies for Smt Genda Devi Degree College, Allipur Barawara, Distt. Kanshiram Nagar.
- You college has been allotted with 55 SD/SW vacancies with effect from 25 Oct 2009. You are requested to do following:-
  - (a) Enroll cadet by 25 Oct 2009 in presence of 9 UP Bn NCC PI Staff
  - (b) Deposit regimental cutting at the rate of Rs. 29.00 per cadet.
  - (c) Make cadets available for training and camp as and when directed.
- 3. The photocopy of allotment letter from NCC Group HQs, Aligarh is attached.

Encls: As above.

(D S Bisht)

Lt Col

Commanding Officer